भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1170

उत्तर देने की तारीख-11/12/2023

उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों का नामांकन ब्यौरा तथा शैक्षणिक विकास

†1170. श्री डी.एम. कथीर आनन्दः

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली (एचईआईएस) में लगभग 52,000 संस्थान और 40 मिलियन छात्र हैं जो इसे विश्व का सबसे बड़ा संस्थान बनाता है और यदि हां, तो नामांकन का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) सरकार द्वारा उच्च शिक्षा प्रणाली विशेष रूप से तेजी से बढ़ रही संस्थाओं, गुणवत्ता और नियोजनीयता की समस्याओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और
(ग) क्या सरकार की देश में शिक्षा के विकास के लिए अपने सकल घरेलू उत्पाद का 5 प्रतिशत आबंटित करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुभाष सरकार)

(क): अखिल भारतीय उच्च शिक्षा पर सर्वेक्षण (एआईएसएचई) 2021-22 (अनंतिम) के अनुसार, 58,643 उच्च शिक्षा संस्थान (1168 विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय स्तर के संस्थान; 45,473 कॉलेज और 12,002 स्टैंडअलोन संस्थान) हैं। एआईएसएचई 2021-22 (अनंतिम) के अनुसार, कुल छात्र नामांकन 4.33 करोड़ है, जो 2014-15 में 3.42 करोड़ से काफी बढ़ गया है। राज्यवार नामांकन https://www.education.gov.in/parl_ques लिंक पर उपलब्ध है।

(ख): देश में उच्च शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की सिफारिशों के अनुरूप कई कदम उठाए गए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने स्टैंड-अलोन, खंडित और डोमेन-विशिष्ट उच्च शैक्षणिक संस्थानों को बहु-विषयक शिक्षा और अनुसंधान के लिए आवश्यक संस्थागत अवसंरचना युक्त बड़े, बहु-विषयक विश्वविद्यालयों और स्वायत्त डिग्री-प्रदान करने वाले संस्थानों में बदलने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। यूजीसी ने उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम को उभरती वैश्विक आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने और प्रणाली में

लचीलापन लाने के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ), राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अर्हता योग्यता ढांचा, अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी), एकाधिक प्रवेश और निकास के लिए नियम लाए हैं। सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में शामिल होने और राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) के तहत मान्यता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, और अधिक भागीदारी की सुविधा के लिए इनके मापदंडों को तर्कसंगत बनाया गया है।

छात्रों की रोजगार क्षमता में सुधार के लिए, प्रशिक्षुता/इंटर्नशिप एम्बेडेड डिग्री कार्यक्रम प्रदान करने के लिए विनियमन जारी किया गया है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने तकनीकी शिक्षा के लिए अप्रेंटिसशिप एंबेडेड डिग्री/डिप्लोमा कार्यक्रम तैयार किया है। राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना भारतीय युवाओं को कुशल बनाने के लिए भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है। यह एक वर्षीय कार्यक्रम है जो इंजीनियरिंग और गैर-इंजीनियरिंग, दोनों विषयों के तकनीकी रूप से योग्य युवाओं को उनके कार्यक्षेत्र में आवश्यक व्यावहारिक ज्ञान और कौशल से सुसज्जित करता है। इनके अतिरिक्त, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस लिए दिशानिर्देश, उद्योग-अकादमिक सहयोग के लिए दिशानिर्देश, सिस्को/आईबीएम/मेटा/एडोब/माइक्रोसॉफ्ट/ सेल्स फोर्स आदि जैसी कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) को उद्योग-संरेखित पाठ्यक्रम डिजाइन करने के लिए उद्योग के साथ काम करने में सक्षम बना रहे हैं। छात्रों के लिए इंटर्नशिप की सुविधा के लिए, अब तक 10560 एचईआई और 71883 उद्योगों के कुल पंजीकरण के साथ इंटर्नशिप के लिए एक एकल एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है। अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए लगभग 7564 इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल और 104 आईडीईए प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं।

(ग): एनईपी 2020 केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा शिक्षा में सार्वजनिक निवेश में वृद्धि का समर्थन करती है। केंद्र सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के लिए अपना बजट आवंटन वर्ष 2014-15 के लिए 82,771 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2023-24 के लिए 1,12,899.47 करोड़ रुपये कर दिया है। साथ ही, वर्ष 2020-21 के लिए शिक्षा पर कुल बजट व्यय (केंद्र, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों - सभी विभागों द्वारा) सकल घरेलू उत्पाद के 4.64 प्रतिशत तक पहुंच गया है।

*****